

नगर पालिका, बगरू

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/BAGRU/FIRENOC/2025-26/52244

जारी दिनांक: 26-JUN-2025

वैधता दिनांक:

25-JUN-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SHYAM SUNDER TOTLA

आवेदक का पता: 156PATH NO6 VIJAY BARI SIKAR ROAD VIDHYADHAR
NAGAR JAIPUR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन MAHESHWARI PUBLIC SCHOOL, SPL 224, RIICO INDUSTRIAL AREA, PHASE 2 BAGRU, BAGRU, JAIPUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा
2. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा
3. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा
4. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे
5. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथी से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा स्वतः निरस्त मानी जावेगी
6. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतोर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा
7. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्वोरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा
8. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा
9. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालना करना आवश्यक होगा
10. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा
11. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा
12. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे
13. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रक्षिप्त कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एस सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफटाफ रेस्टोरेन्ट के लिए मान्य नहीं है जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रुफटाफ रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा



अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, बगरू